प्रेषक,

ई–मेल द्वारा

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 22 /एल0बी0सी0/2024 दिनांक 27 अप्रैल,2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय मे अनुपालनार्थ प्रेषित की गई है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्या–15,16,17 के अनुपालन हेतु दिनांक 24.04.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग देहरादून के साथ बैठक आहूत की गई (कार्यवृत्त प्रति संलग्न)। उक्त बैठक मे नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को वर्ष–2016 के बाद वर्तमान समय तक हुए अतिक्रमण को चिन्हित किये जाने हेतु टास्क फोर्स का गठन करते हुए चिन्हित/ध्वस्त किये गये अतिक्रमण की सूची मय फोटोग्राफ्स विस्तृत रिपोर्ट/आख्या दैनिक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देशित किया गया, जिसके क्रम मे नगर निगम देहरादून द्वारा Action Taken Report कार्यालय पत्र संख्या–1759/भूमि0/2024–25 दिनांक 26.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई है (प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त अनुपालन आख्या/Action Taken Report मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सेवा मे सादर प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपिः– पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उपरोक्त आख्या/ Action Taken Report इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी का पक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष नियत तिथि को रखने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
देहरादून।

ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 22 /एल0बी0सी0/2024 दिनांक 27 अप्रैल,2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय मे अनुपालनार्थ प्रेषित की गई है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्या–15,16,17 के अनुपालन हेतु दिनांक 24.04.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून व अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग देहरादून के साथ बैठक आहूत की गई (कार्यवृत्त प्रति संलग्न)। उक्त बैठक मे नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को वर्ष–2016 के बाद वर्तमान समय तक हुए अतिक्रमण को चिन्हित किये जाने हेतु टास्क फौर्स का गठन करते हुए चिन्हित/ध्वस्त किये गये अतिक्रमण की सूची मय फोटोग्राफ्स विस्तृत रिपोर्ट/आख्या दैनिक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देशित किया गया, जिसके क्रम मे नगर निगम देहरादून द्वारा Action Taken Report कार्यालय पत्र संख्या–1759/भूमि0/2024–25 दिनांक 26.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई है (प्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्त अनुपालन आख्या/Action Taken Report मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सेवा मे सादर प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपिः– पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उपरोक्त आख्या/ Action Taken Report इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी का पक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष नियत तिथि को रखने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवदेन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्या–15, 16, 17 के सम्बन्ध मे दिनांक 24.04.2024 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता मे आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1– नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग देहरादून।

1– बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारियों मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्या–16 The state notification conflicts with the notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation notification dated 07.10.2016 under which section 42 provides as follows;

42. Giving of prior approval in certain matters:

(a) engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga,
(b) construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area;
(c) construction of Ghats or extension of any existing Ghat,
(d) construction of jetties.
(e) construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelisation of River Ganga or its tributaries;
(f) deforestation of hill slopes and notified forest and other eco- sensitive areas;
(g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

प्रस्तर संख्या–17 Considering the above facts, the state of Uttarakhand, Pollution Control Board and Collector are directed to submit its report as applicability of the notification which is in contravention of notification dated 07.10.2016 (SO3187 (E), MOEF & CC.
उक्त बिन्दुओं के कम मे नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून द्वारा वर्ष–2016 के बाद वर्तमान समय तक प्रस्तुत अतिकम्रण सम्बन्धी आख्या/रिपोर्ट संतोषजनक न होने पर इस ओर अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है कि वह चिन्हित संरचनाओ के अध्यासियों के विरूद्व अधिनियम के तहत अग्रेत्तर कार्यवाही कर टास्क फोर्स मे नगर निगम, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग तथा अन्य सम्बंधित विभागों को शामिल करते हुए चिन्हित/ध्वस्त किये गये अतिकमण की सूची मय फोटोग्राफ्स सहित विस्तृत रिपोर्ट/आख्या दैनिक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। ताकि तद्नुसार अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही नगर आयुक्त देहरादून/सिचाई खण्ड देहरादून)

2– बैठक मे जिलाधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 273 /XXXVI (3)/2018/53(1)/2018 देहरादून 26 जुलाई, 2018 अधिसूचना विविध के प्रस्तर संख्या–5 पर निम्नवत् प्रकाश डाला। **इस अध्यादेश के प्राविधानों का कतिपय प्रकरणों पर लागू न होनाः–** 05. इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् निम्नलिखित श्रेणी के अनाधिकृत विकास के लिए धारा 4 के प्रावधानों के अधीन किसी प्रकार की छूट नही होगीः–

(1) दिनांक 11.03.2016 के पश्चात प्रारम्भ किये गये और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण कार्य।

(2) सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।

(3) सार्वजनिक सडक मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपापथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/विकास।

(कार्यवाही नगर आयुक्त देहरादून/सिचांई खण्ड देहरादून)

2— बैठक मे सिंचाई खण्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया, कि वर्तमान रिस्पना नदी मे (Flood Plain Zone) की कार्यवाही नही हुयी है, उनके द्वारा प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित होने के सम्बन्ध मे जानकारी दी गई।

(कार्यवाही सिचांई खण्ड देहरादून)

अतः बैठक के अंत मे उपस्थित समस्त अधिकारियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्या—16, 17 का व उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 273/XXXVI (3)/2018/53(1)/2018 देहरादून 26 जुलाई, 2018 के बिन्दु संख्या—05 का अक्षरक्षः अनुपालन ससमय सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जिससे जिलाधिकारी की ओर से अनुपालन आख्या ससमय मा0 एन0जी0टी0 मे दाखिल की जा सके।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 21 /एल0बी0सी0—2024 दिनांक 24 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
2— अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून।
3— नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
4— अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई खण्ड, देहरादून।

जिलाधिकारी
देहरादून।

नगर
नि
देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स–0135–2651060: ई–मेल–nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्रांकः–...1759.../भूमि0/2024–25

दिनांकः–...26/04/2024...

सेवा में,

जिलाधिकारी/प्रशासक
देहरादून।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश 25.07.2023 के अनुपालन में Action Taken Report के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश 25.07.2023 के अनुपालन में नगर निगम देहरादून द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष शपथपत्र दाखिल किये जाने हेत Action Taken Report तैयार कर सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

26/4/24

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

Action Taken Report on behalf of Nagar Nigam, Dehradun

In matter of

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi Versus State of Uttarakhand

I. **Background**

1. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in matter of Niranjan Bagchi Versus State of Uttarakhand in para 11 of the order dated 01.04.24 was pleased to direct as under;

   "........11. The Registry is directed to send a copy of this order to respondents no. 1 (State of Uttarakhand), 2 (Principal Secretary, Urban Department, State of Uttarakhand) and 5 (District Magistrate, Dehradun) requiring them to deposit costs as directed above and to file their compliance report at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date of hearing hereby fixed.

   …………"

2. In compliance of the above directions, on 24.04.24, a meeting was conducted under the Chairmanship of the District Magistrate, Dehradun, in which Nagar Nigam Dehradun, Irrigation Department and Uttarakhand Pollution Contol Board were also present. In order to ensure compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal in letter and spirit it was decided that a Task Force be constituted to conduct a mass level exercise to identify the encroachments. In this connection,copy of the minutes of meeting dated 24.04.24 is being marked and filed as **<u>Annexure No.1</u>** to this report

3. That in compliance of the aforementioned direction, Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun vide letter dated 25.04.2024 bearing no. 795/5T/2024 formulated a Task Force comprising of the Additional Municipal Commissioner, Superintendent of Police, Deputy Municipal Commissioner, Irrigation Department, Peyjal department, Electricity Department, Jal Santhan and Regional Officer, UKPCB to identify the encroached area and accordingly were directed to submit its report within one week. In this connection, copy of letter dated 25.04.24 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this report.
4. In compliance of the directions issued by the Hon'ble NGT in its previous orders, Nagar Nigam, Dehradun has in the span of a year identified various Government lands that were under encroachment. This identification process involved inspections carried out by Nagar Nigam officers, as well as investigations into complaints made by the general public against the alleged encroachers.
5. That after identification, the said land is marked in hectares by Nagar Nigam to identify the area that is under encroachment. Thereafter, Nagar Nigam initiated its procedure of removal of encroachment. It is pertinent to mention that 177 encroachments on 45 places admeasuring 3.4479 hectares have been removed by Nagar Nigam Dehradun till date. In this connection, copy of the Progress Report of encroachment along with news articles published in this regard is being marked and filed as **Annexure No.3** to this report.
6. It is pertinent to mention that Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun vide letter bearing no. 109/3T/2023 dated 25.02.23 wrote to Uttrakhand Power Corporation and Uttrakhnad Jal Sansthan requesting them to refrain from providing water and electricity connections to encroachers on unauthorized establishments as it encourages them to

expand their illegal occupancy. In this connection, copy of letter dated 25.02.23 is being marked and filed as **Annexure No.4** to this report.

7. That in furtherance of the encroachment drive undertaken by the answering respondent, 51 cases have been instituted before the Learned City Magistrate under the Public Premsis Act, 1971 against the encroachers who have constructed permanent structures on the encroached lands. In this connection, list of encroachers against whom the suit has been instituted is being marked and filed as **Annexure No. 5** to this report.

8. Further, FIR has also been instituted against encroachers who are rigid and are obstructing the encroachment drive. In this connection, list of encroachers against whom the suit has been instituted is being marked and filed as **Annexure No. 6** to this report.

****

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांक 795/ST/2024 दिनाँक 25/04/2024

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 25.07.2023 मे निर्देशित किया गया है कि "We further direct the Secretary, Enviornment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the collector and Municipal commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/river body and to ensure the compliances of the environment act. Public property cannot be made subject of encroachment."

उत्तराखण्ड शासन विधायी एव संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018 देहरादून, 26 जुलाई 2018"उत्तराखण्ड (नगर निकायो एव प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश 2018" तथा अधिसूचना संख्या–264/XXXVI/(3)/2021/55(1)/2021 देहरादून, 24 सितम्बर 2021"उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संसोधन) विधेयक, 2021" के अध्याय–2 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही एवं निर्देश देने की शक्ति की धारा–4 मे वर्तन को स्थगित किये जाने का उल्लेखित है, अध्यादेश के प्रवृत्त होने से 6 वर्ष तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नही की जा सकेगी। शासनादेश संख्या–श0वि0–2016–25(सा)/2014 देहरादून, दिनांक 30 सितम्बर 2016, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायो मे अवस्थित मलिन बस्तियो के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थान तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016 के बिन्दु सं0–14 निषेध तथा दण्डात्मक प्रक्रिया मे "राज्य सरकार की भूमि पर दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् किया जाने वाला कोई भी कब्जा दण्डनीय अपराध होगा"।

उपरोक्त के कम मे नगर निगम सीमान्तर्गत नदियों के किनारे अतिकमण चिन्हित किये जाने हेतु निम्नानुसार टास्क फोर्स गठित की जाती है:–

1. अपर नगर आयुक्त	–	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक (नगर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
3. उप जिलाधिकारी (सदर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
4. उप नगर आयुक्त (भूमि)/कर अधीक्षक	–	सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
6. अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
7. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
8. अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थान, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
9. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य

उक्तानुसार गठित समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाँक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों के कम में अतिकमण चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगी, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का दिनाँक 25.07.2023 का अनुपालन ससमय किया जा सके। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनाँक 13.05.2024 नियत है। इसमें किसी भी प्रकरण की लापरवाही/विलम्ब के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी/प्रशासक महोदया, देहरादून को सादर अवलोनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपरोक्तानुसर समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714774; फैक्स– 0135–2651060)

पत्रांक:–1704/भूमि/2024 दिनांक:–10/04/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी

देहरादून।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–07/एल0बी0सी0–2024, दिनांक 05.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में प्रस्तर संख्या–15, 16 व 17 के अनुपालन मे शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:–

Para 15- In its reply filed by the Municipal Corporation, it has been submitted that demarcation of the flood plain zone of the river and tapping discharge of untreated sewage in the river falls within the ambit of Irrigation Department, Dehradun and Payjal Nigam, Uttarakhand. These departments are directed to take action for demarcating the land and to identify and to protect. It has further been submitted that vide notification dated 26.07.20218, the special provision for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 under Section 4 (2) and 4 (3) have been amended and directions have been issued to maintain status quo and no punitive action can be taken against the encroachers established alongside the river Rispana till the year 2024.

प्रस्तर–15 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुर्नस्थापना तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली–2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे जारी अधिसूचना के क्रम संख्या 1738/IV(2)–श0वि0–16–25(सा0)/14, दिनांक 30.09.2016 के क्रम में 129 चिन्हित किया गया। जिसमें रिस्पना नदी के किनारे स्थित मलिन बस्तियों में 27 मलिन बस्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने के समबन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018 देहरादून, 26 जुलाई 2018 **"उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश 2018"** तथा अधिसूचना संख्या 264/XXXVI/(3)/ 2021/55(1) /2021 देहरादून, 24 सितम्बर 2021 **"उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान(संसोधन) विधेयक, 2021"** के अध्याय–2 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही एवं निर्देश देने की शक्ति की धारा–4 में प्रर्वतन को स्थगित किया जाना में उल्लेखित है, अध्यादेश के प्रवृत्त होने से 6 वर्ष तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में नगर निगम द्वारा प्रतिशपथ दाखिल किया जा चुका है। छायाप्रति संलग्न है।

अतः नगर निगम देहरादून द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Para 16- The state notification conflicts with the notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation notification dated 07.10.2016 under which section 42 provides as follows;

42. Giving of prior approval in certain matters:

(a) engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga;

(b) construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area;

(c) construction of Ghats or extension of any existing Ghat;

(d) construction of jetties;

(e) construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelisation of River Ganga or its tributaries;
(f) deforestation of hill slopes and notified forest and other ecosensitive areas;
(g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

प्रस्तर–16 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से सम्बन्धित है।

अतः नगर निगम देहरादून द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Para 17- Considering the above facts, the state of Uttarakhand, Pollution Control Board and Collector are directed to submit its report as applicability of the notification which is in contravention of notification dated 07.10.2016 (SO3187 (E), MoEF & CC.

प्रस्तर–17 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा कलेक्टर को अधिसूचना की प्रयोज्यता के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के समक्ष जो विरोधाभास अधिसूचनाओं में उत्पन्न हुआ है ततसम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर से की जानी अपेक्षित है।

अतः नगर निगम देहरादून द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Para 18- Accordingly, we direct the Secretary, Environment, Uttarakhand to re-examine the matter and to take appropriate action. We further direct the Secretary, Environment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/ river body and to ensure the compliances of the environmental act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks

प्रस्तर–18 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत निगम की स्वामित्व की भूमियों पर अतिक्रमण पाये जाने पर समय–समय नियम अनुसार अतिक्रमण उन्नमूलन की विभागीय कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के अन्तर्गत गत वर्ष में की गयी अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की सूची, पी0पी0एक्ट में दायर किये गये वादों की सूची, अतिक्रमणकारियों पर दर्ज किये गये मुकदमों की सूची की प्रति संलग्न है।

अतः नगर निगम देहरादून द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में प्रस्तर संख्या–15, 16, 17 व 18 के अनुपालन मे शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

16/4/24

भवदीय,

(गौरव कुमार)
आई0ए0एस0
नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

टास्क फोर्स द्वारा सरकारी भूमि पर हुये अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर अवमुक्त कराये जाने से सम्बन्धित दैनिक/प्रगतिशील विवरण वर्ष 2023–24 (नगर निगम देहरादून)

		अभियान से पूर्व तथा अभियान के दौरान चिन्हित किये गये स्थायी अवैध अतिक्रमण						हटाये गये स्थायी अवैध अतिक्रमण						कार्यवाही हेतु शेष स्थायी अवैध अतिक्रमण		
दिनांक	स्थल का नाम	कुल कलस्टर (समूह) की संख्या		भूमि हैक्टेयर में		कुल अवैध अतिक्रमण की संख्या		कुल कलस्टर (समूह) की संख्या		भूमि हैक्टेयर में		कुल अवैध अतिक्रमण की संख्या		कुल कलस्टर (समूह) की	भूमि हैक्टेयर में	कुल अवैध अतिक्रमण की संख्या
		दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	दैनिक	प्रगतिशील	संख्या		
24-05-2023	सहस्त्रधारा रोड़ स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड निगम भूमि	1	—	0.075	—	10	—	1	—	0.075	—	10	—	-	-	-
25-05-2023	बिन्दाल पुल के नीचे	1	1	0.05	0.075	12	10	1	1	0.05	0.075	12	10	-	-	-
26-05-2023	बिन्दाल पुल के नीचे	2	2	0.1020	0.125	12	22	2	2	0.1020	0.125	12	22	-	-	-
	चिडोवाली (सौंघोवाली)													-	-	-
27-05-2023	मेहूवाला माफी	1	4	0.2520	0.227	2	34	1	4	0.2520	0.227	2	34	-	-	-
29-05-2023	कावंली	2	5	0.0075	0.479	3	36	2	5	0.0075	0.479	3	36	-	-	-
	नागल हटनाला													-	-	-

3-06-2023	ढाक पट्टी	1	20	0.1540	1.4103	3	112	1	20	0.1540	1.4103	3	112	-	-	-
19-06-2023	एकता विहार, अधोईवाला	1	21	1	1.5643	20	115	1	21	0.8	1.5643	20	115	-	-	-
23-06-2023	आरके पुरम, अधोईवाला	1	22	0.0025	2.5643	1	135	1	22	0.0025	2.3643	1	135	-	-	-
	रूद्र विहार, वन विहार, मेहूवाला माफी	1		0.05		1		1		0.05		1		-	-	-
27-06-2023	सिरमौर स्टेट, कौलागढ़	1	25	0.0600	2.6768	6	143	1	25	0.0600	2.6768	6	143	-	-	-
06-07-2023	नत्थनपुर	1	26	0.003	2.7368	1	149	1	26	0.003	2.7368	1	149	-	-	-
21-07-2023	आजाद कालोनी, गली नं0 6, ट्रनर रोड	1	27	0.0001	2.7398	1	150	1	27	0.0001	2.7398	1	150	-	-	-
22-07-2023	तरला नागल, हैलीपैड के पास	1	28	0.0300	2.7399	1	151	1	28	0.0300	2.7399	1	151	-	-	-
24-07-2023	खसरा नं0 328 मालसी में अवैध कच्चा मकान	1	29	0.0770	2.7699	1	152	1	29	0.0770	2.7699	1	152	-	-	-

[illegible]-2023	चन्द्र विहार,निसान शुरूम के पास	1	30	0.0360	2.8469	1	153	1	30	0.0360	2.8469	1	153	-	-	-
29-08-2023	रेस कोर्स, मलिन बस्ती, नव निर्माण सील	प्रथम तल पर नव निर्माण सील किया गया।														
12-09-2023	नूरीवाला	1	31	0.2660	2.8829	6	154	1	31	0.2660	2.8829	6	154	-	-	-
20-09-2023	मोथरोवाला, दुकान सील	1	32	0.0200	3.1489	5	160	1	32	0.0200	3.1489	5	160	-	-	-
04-10-2023	जबर बस्ती	1	33	0.0175	3.1689	1	165	1	33	0.0175	3.1689	1	165	-	-	-
03-1[illegible]-2023	नेहरू ग्राम	1	34	0.0100	3.1864	1	166	1	34	0.0100	3.1864	1	166	-	-	-
19-10-2023	डाण्डा खुदाने वाला	1	35	0.1000	3.1964	1	167	1	35	0.1000	3.1964	1	167	-	-	-
19-12-2023	विवेक विहार	1	36	0.0200	3.2964	1	168	1	36	0.0200	3.2964	1	168	-	-	-
22-12-2023	जाखन	1	37	0.0500	3.3164	1	169	1	37	0.0500	3.3164	1	169	-	-	-

नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का विवरण

क्र0सं0	अतिक्रमण कारी का नाम	थाना	स्थल/राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं0
1	श्री फिरोज पुत्र असगर	रायपुर	डांडा नूरीवाला	44
2	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र रमेश चन्द्र रमोला	रायपुर	डांडा लखौण्ड	143मि0
3	श्री अनिरूद्ध तन्खा	राजपुर	मालसी	328मि0
4	श्री मुकेश भट्ट पुत्र श्री लक्ष्मी नाराण भट्ट	चौकी लक्खीबाग	रेसकोर्स–सी ब्लॉक	मलिन बस्ती
5	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रतन रतन सिंह	राजपुर	सपेरा बस्ती	144/6
6	श्री कमाल अहमद श्री मकबूल अहमद		ढ़ाक पट्टी	670मिन
7	श्री अरूण पुत्र श्री रामफल सहानी व 22 अन्य	रायपुर	अधोईवाला	194ण, 195ख 196ख, 205ख व 207ख
8	श्री श्याम भारद्ववाज	राजपुर	राजपुर	1125/450 मिन
9	श्री नवीन गुप्ता	राजपुर	राजपुर	1125/450 मिन
10	श्रीमती सुषमा पत्नी श्री सोम पाल व 9 अन्य		चकडांडालखौण्ड	120ट
11	श्री हरमिन्दर सिंह पुत्र श्री हरबख्श सिंह	रायपुर	रायपुर	510/1
12	श्री कमाल अहमद पुत्र श्री मकबूल अहमद	राजपुर	ढ़ाकपट्टी	670मिन
13	श्री सतीश चौधरी पुत्र श्री रतन सिंह	राजपुर	सपेरा बस्ती	141/6
14	श्री इन्द्रेश कर्णवाल	डालनवाला	अधोईवाला	मलिन बस्ती
15	श्री ज्वायश जोजफ पत्नी स्व0 श्री ऐरिक जोजफ,	राजपुर	ढ़ाकपट्टी	खाले पर अतिक्रमण

	श्रीमती मुघ किरसाली पत्नी श्री सुरेंद्र किरसाली,			
	श्रीमती निर्मला सोनी			
16	श्रीमतीकविता देवी पत्नी श्री कली राम व 18 अन्य	रायपुर	एकता विहार सहस्त्रधारा रोड़	194
17	श्री किशन मौर्य पुत्र श्री राम दुलारे	राजपुर	राजपुर	सरकारी ढांग काटकर अतिक्रमण
18	अज्ञात	वसन्त विहार	मेहुवालामाफी	2256घ, 2257, 2259क

ग्राधिकारी

निगम की भूमियों पर किये गये कब्जे के विरुद्ध पी0पी0एक्ट में योजित वादों का विवरण

क्रम सं0	खसरा सं0	भूमि श्रेणी	नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल है0	वाद की स्थिति
1	1–क	6–1	सोमवती देवी	नत्थनपुर	0.0037	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
2	1–क	6–1	नेमी शर्मा	नत्थनपुर	0.0075	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
3	1–क	6–1	आफताब	नत्थनपुर	0.0032	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
4	1क	6–1	विक्रांत	नत्थनपुर	0.0088	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
5	1क	6–1	उमेश मौर्य	नत्थनपुर	0.0021	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
6	1क	6–1	मुन्नी लाल	नत्थनपुर	0.0021	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
7	1क	6–1	शेषनाथ चौहान	नत्थनपुर	0.0050	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
8	1क	6–1	नियामत	नत्थनपुर	0.0020	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
9	1क	6–1	शेषनाथ	नत्थनपुर	0.0033	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
10	11 56	6–4	अशोक पासवान	अजबपुरखुर्द	0.0055	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
11	1203	6–4	सोनिका बुडाकोटी	अजबपुरखुर्द	0.0072	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
12	1203	6–4	संजय	अजबपुरखुर्द	0.0096	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
13	1156	6–4	टिंकू पासवान	अजबपुरखुर्द	0.0025	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
14	1155	6–4	श्यामलाल रयाल	अजबपुरखुर्द	0.0167	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
15	1155क	6–4	त्रिलोक सिंह राणा	अजबपुरखुर्द	0.0031	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
16	1203क	6–4	भूमा देवी	अजबपुरखुर्द	0.0135	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
17	1156	6–4	शंकर पासवान	अजबपुरखुर्द	0.0016	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
18	1156	6–4	संजय पासवान	अजबपुरखुर्द	0.0052	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
19	1156	6–4	सूरजीत पासवान	अजबपुरखुर्द	0.0020	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
20	108	6–1	मधु चौहान	मंगलूवाला	0.0133	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
21	107	6–1	कुसुम रानी	मंगलूवाला	0.0108	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
22	593	6–1	छतर सिंह	जाखन	0.0200	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
23	593	6–1	वैभव गर्ग	जाखन	0.0200	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
24	593	6–1	विरेन्द्र चौधरी	जाखन	0.0400	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
25	593	6–1	नवप्रीत सिंह	जाखन	0.0150	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
26	170	6–1	बडेकी (पूनम)	चकतुनवाला	0.0060	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
27	364ग	6–1	गजेन्द्र सिंह	चकतुनवाला	0.0157	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
28	120	6–4	जयकिशन	चकडांडा लखौण्ड	0.0060	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
29	120	6–4	शमशाद	चकडांडा लखौण्ड	0.0150	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
30	120	6–4	सावित्री देवी	चकडांडा लखौण्ड	0.0060	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
31	12मि0	6–1	लखन सिंह नेगी	चकडांडा लखौण्ड	0.0290	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
32	12मि0	6–1	मोहन लाल बोहरा	चकडांडा लखौण्ड	0.0290	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
33	37	6–1	पुष्पेन्द्र सिंह नेगी	चकडांडा लखौण्ड	0.0386	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
34	120ख	6–4	किशन भट्ट	चकडांडा लखौण्ड	0.0150	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
35	120ख	6–4	गोकर्णनाथ	चकडांडा लखौण्ड	0.0180	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
36	277छ	6–1	संजय वासुदेव	डाडा लखौण्ड	0.1760	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
37	139	6–1	सिद्धार्थ ला कालेज	डांडाखुदानेवाला	0.0300	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
38	139घ	6–1	अंकित मंमगाई	डांडाखुदानेवाला	0.0030	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
39	139घ	6–1	नीलेश मंमगाई	डांडाखुदानेवाला	0.0030	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
40	12मि0	6–1	मंगल सिंह चौहान	हरीपुर	0.0200	मा0 न्यायालय सहायक कलैक्टर
41	118ग	6–1	शिव प्रसाद थपलियाल	हरीपुर	0.0240	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
42	30मि0	6–1	दिलशाद	मालसी	0.0080	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
43	30	6–1	इफितखार	मालसी	0.0160	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
44	246क 250क 251क 335ख 197	5–3–ड़ 5–1 5–1 6–1 5–3–ख–2	सिद्धार्थ लॉ कालेज	डांडा खुदानेवाला	0.3196	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट

45	255गमि0	5–3–ड़	मै0 रोटिंग विल्स प्रा0 लि0 द्वारा समरेश कुमार पुत्र रामनाथ सिंह	कुंआवाला	0.0400	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
46	248गमि0	5–3–ड़	तुलाराम	कुंआवाला	0.0200	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
47	244ग	5–3–ड़	टी0वी0एल0 हॉइटैक्क पोलीमर्स प्रा0 लि0 द्वारा लोकेश जैन पुत्र एस0सी0 जैन	कुंआवाला	0.0480	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
48	260ख	5–3–ड़	विकास गुप्ता पुत्र देव गुप्ता	कुंआवाला	0.0690	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
49	1125क	5–3–क–2	श्याम भारद्वाज	जाखन	0.0180	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
50	292मि0	6–1	ज्ञानती देवी	जोहड़ी	0.0042	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
51	715ग	5–3–ड़	सुरेन्द्र पाल	बंजारावाला	0.0075	मा0 न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट
				योग	1.2083	

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

दूरभाष--0135-2714074, फैक्स-0135-2651060, website-www.nagarnigamdehradun.com
Email-nagarnigam.ddn@gmail.com.

पत्रांक 109/51/2023

दिनॉक 25/02/2023

1. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन (शहरी), देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान (शहरी), देहरादून।

विषयः-- **मलिन बस्ती क्षेत्र में शासकीय भूमियों पर होने वाले अतिकमण को रोकने के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मलिन बस्ती क्षेत्रों में शासकीय भूमियों पर होने वाले अतिकमण को रोकने हेतु आवेदक से सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण--पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही विभाग द्वारा विद्युत एवं पानी के कनैक्शन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम को पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(मनुज गोयल)
आई0ए0एस0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः--

1. जिलाधिकारी, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (शिक्षण)
उत्तराखण्ड जल संस्थान
32-राजपुर रोड, देहरादून
पत्र प्राप्ति सं............. दिनांक 27-02-23

Power Corpn. Ltd. U.D.D. ... E.C. Road
27/2/23

155

19-JUNE-2023

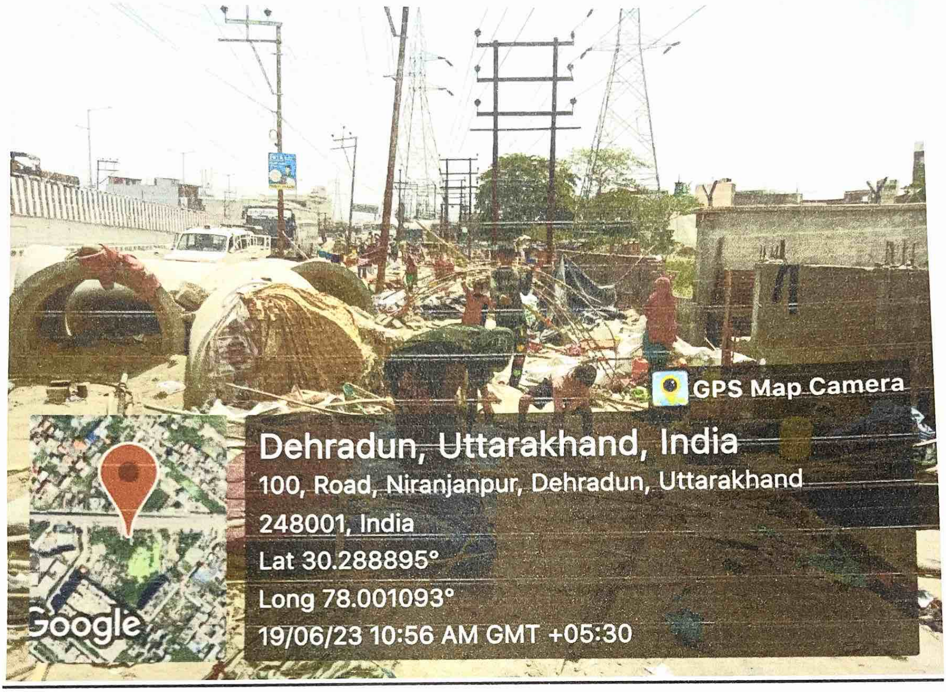

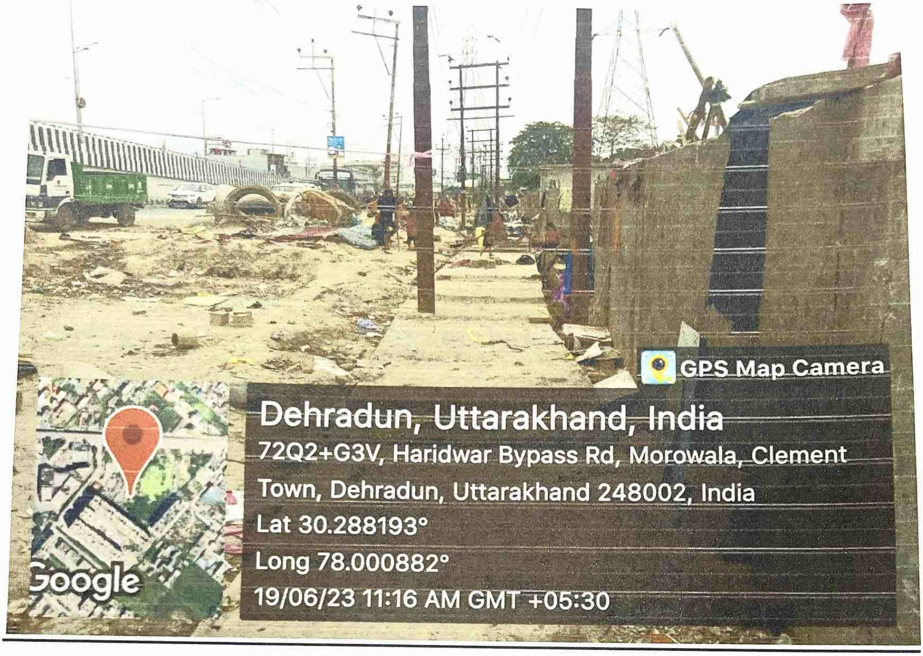
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
72Q2+G3V, Haridwar Bypass Rd, Morowala, Clement Town, Dehradun, Uttarakhand 248002, India
Lat 30.288193°
Long 78.000882°
19/06/23 11:16 AM GMT +05:30
Google

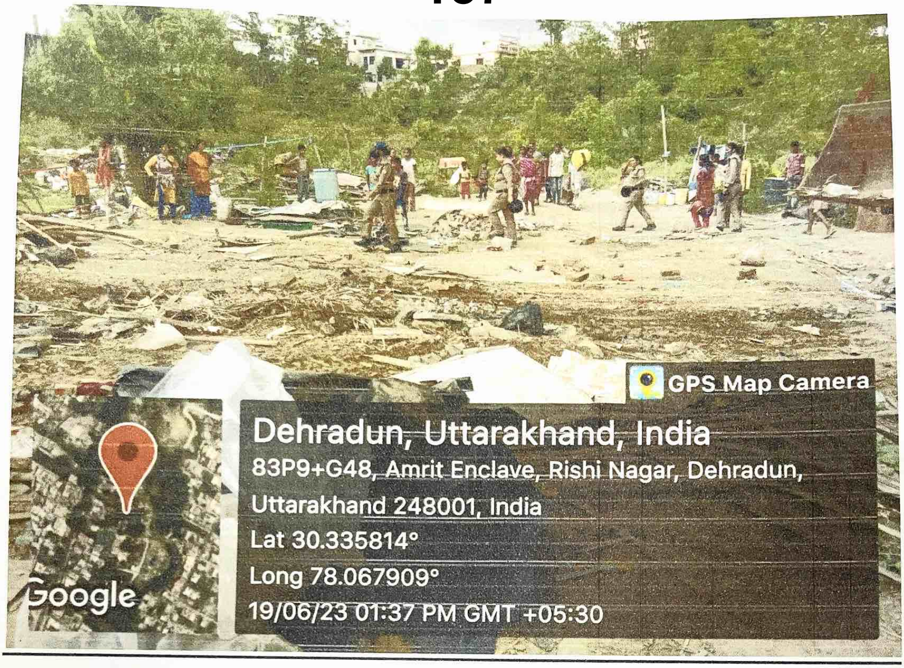
GPS Map Camera
Google
Dehradun, Uttarakhand, India
83P9+G48, Amrit Enclave, Rishi Nagar, Dehradun, Uttarakhand 248001, India
Lat 30.335814°
Long 78.067909°
19/06/23 01:37 PM GMT +05:30

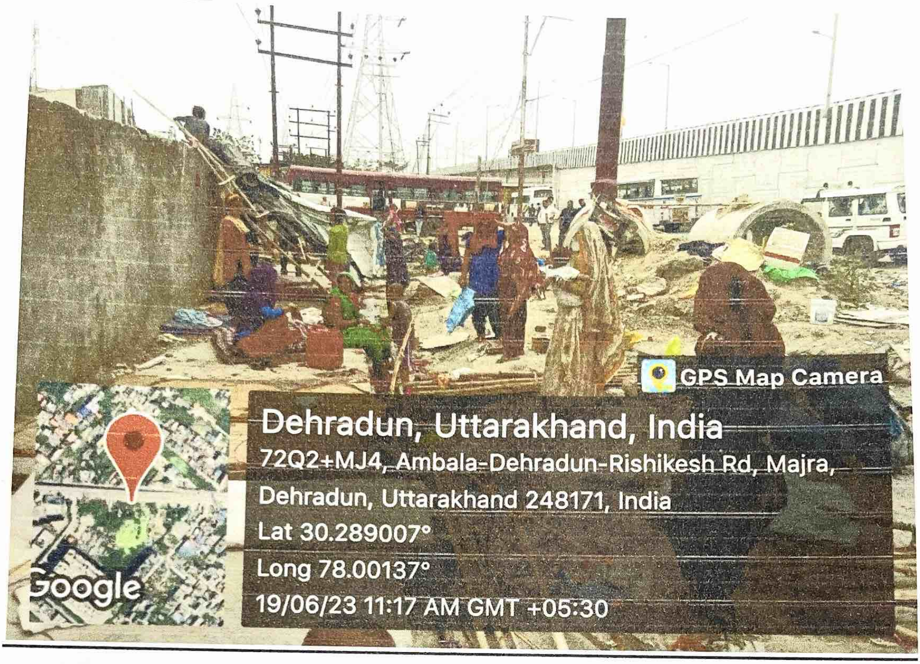
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
72Q2+MJ4, Ambala-Dehradun-Rishikesh Rd, Majra, Dehradun, Uttarakhand 248171, India
Lat 30.289007°
Long 78.00137°
19/06/23 11:17 AM GMT +05:30
Google

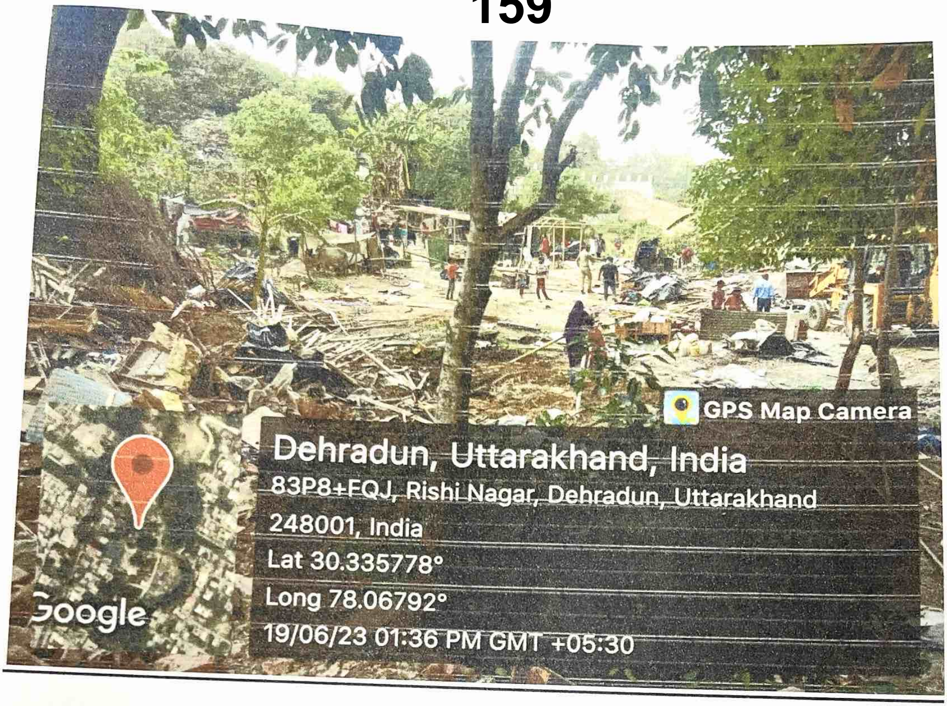
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
83P8+FQJ, Rishi Nagar, Dehradun, Uttarakhand
248001, India
Lat 30.335778°
Long 78.06792°
19/06/23 01:36 PM GMT +05:30
Google

24-JULY-2023

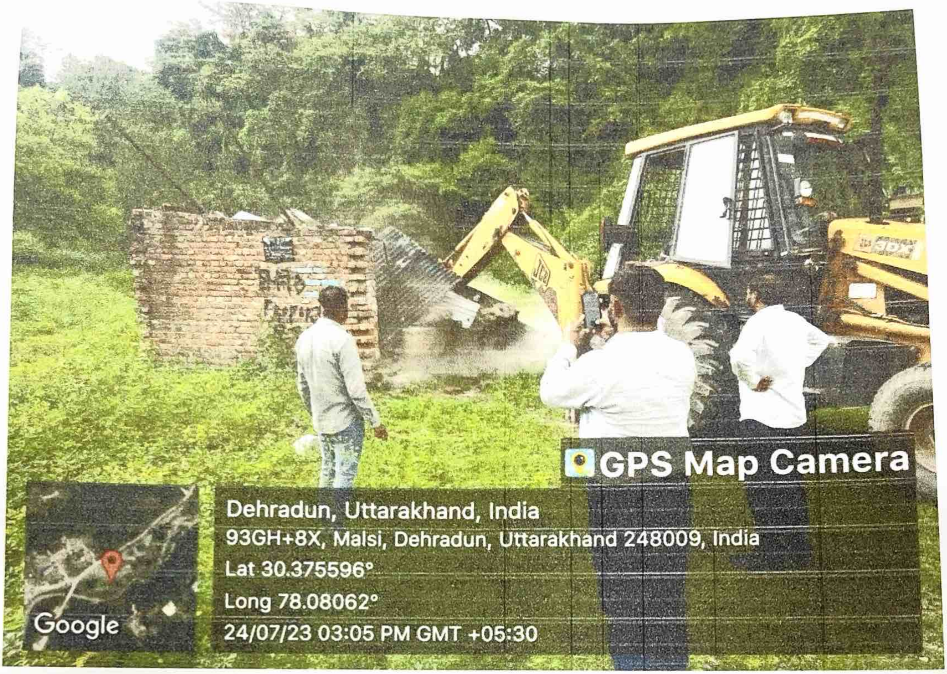
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
93GH+8X, Malsi, Dehradun, Uttarakhand 248009, India
Lat 30.375596°
Long 78.08062°
24/07/23 03:05 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
93GH+8X, Malsi, Dehradun, Uttarakhand 248009, India
Lat 30.375582°
Long 78.080657°
24/07/23 03:05 PM GMT +05:30
Google

दिनांक 25-4-24 हिन्दुस्तान

दिनांक 25/4/24

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

अपना

जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्रवाई, पंद्रह पक्के मकानों को भी अल्टीमेटम

सख्ती: सरकारी जमीन पर बन रहे 15 भवन तोड़े

18 बीघा के करीब भूमि पर अवैध कॉलोनी को बसाने की थी तैयारी

- 02 से ढाई लाख रुपये में लोगों को प्लॉट बेचने वाला आरोपी व्यक्ति फरार
- गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन वर्तमान में हो चुकी है राज्य सरकार के नाम दर्ज

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। दून में सहस्त्रधारा रोड से लगते ग्राम चक नागल हटनाला में जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यहां करीब चार घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बन रहे पंद्रह मकान तोड़े गए। प्लॉटिंग के लिए बनाई गई बीस बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। टीम को विरोध भी सहना पड़ा।

जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि पूर्व में गोल्डन फॉरेस्ट और वर्तमान में राज्य सरकार के नाम दर्ज हो चुकी जमीन पर कुछ बिचौलिये सहस्त्रधारा रोड से लगते ग्राम चक नागल हटनाला में अवैध रूप से कॉलोनी बसा रहे हैं। मौके पर पूछताछ में अफसरों को लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति ने उनको दो से ढाई लाख रुपये में जमीन बेची, जिसके बाद उन्होंने मकान बनाने शुरू किए। बुधवार को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पंद्रह निर्माणाधीन मकान और बाउंड्री वॉल को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक यह कार्रवाई जारी रही। इस दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली।

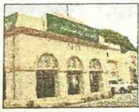

04 घंटे तक चला जिला प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान, खलबली

- अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बीस बाउंड्रीवॉल को मौके पर ध्वस्त किया गया

चक नागल हटनाला में जमीन बेचने वाला घर से फरार

दून में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अफसरों ने लोगों से कहा कि जिस व्यक्ति ने जमीन बेची, उससे जाकर पूछें कि किस आधार पर उसने प्लॉटिंग की और किसने उसे जमीन बेचने का अधिकार दिया। इसके बाद लोग आरोपी के घर पहुंचे, लेकिन वह तब तक मौके से फरार हो चुका था।

दून में सहस्त्रधारा रोड से लगते ग्राम चक नागल हटनाला में बुधवार को अतिक्रमण हटाया गया। • हिन्दुस्तान

जमीन बेचने वाले पर कार्रवाई की मांग उठाई

इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि उनको यहां अवैध रूप से जमीन बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानूनगो संजय सैनी और कर एवं राजस्व अधीक्षक-भूमि राहुल कैंथोला ने बताया कि यहां 15 और ऐसे मकान हैं, जहां लोग रह रहे हैं, उनको मकान खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

दून में धड़ल्ले से चल रहा अवैध प्लॉटिंग का काम

देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। कई जगह एमडीडीए से ले-आउट पास करवाए बिना ही लोगों को प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं, जिसका खामियाजा बाद में आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है।

दिनांक 25-4-24 दैनिक जागरण

अतिक्रमण पर कार्रवाई, 15 मकान ध्वस्त

दिनांक 25/4/24 दैनिक जागरण

नागल हटनाला में अतिक्रमण ध्वस्त करती निगम की जेसीबी ● साभार नगर निगम

जागरण संवाददाता, देहरादून: शहर में जगह-जगह सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से हो रहे अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण करने वालों के विरुद्ध निगम ने अभियान चलाया। जिसके तहत नागल हटनाला में 15 पक्के मकान ध्वस्त किए गए, साथ ही सरकारी जमीन पर बनाई गई चहारदीवारी भी ढहा दी गई। इस दौरान टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण पर कार्रवाई कर निगम व तहसील प्रशासन ने स्वामित्व का बोर्ड लगाया।

सहस्त्रधारा रोड के आसपास बेशकीमती सरकारी जमीन लंबे समय से खुर्दबुर्द की जा रही है। भूमाफिया सरकारी जमीनें कब्जाने और स्टांप पेपर पर खरीदने-बेचने का भी खेल चल रहा है। नगर निगम को सूचना मिली कि नागल हटनाला क्षेत्र में राज्य सरकार और नगर निगम के नाम पर दर्ज भूमि पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। कुछ भूमाफिया अवैध निर्माण कर संपत्ति बेच रहे हैं और यहां कालोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों ने रातोंरात सरकारी जमीन पर पक्के निर्माण कर दिए हैं। बुधवार को नगर निगम के भूमि अनुभाग की टीम ने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की। पुलिस बल की मौजूदगी में टीम नागल हटनाला पहुंची। भूमि कर अधीक्षक राहुल कैंथोला ने बताया कि विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। सरकारी भूमि से 15 पक्के निर्माण तोड़े गए, 20 अवैध चहारदीवारी भी ध्वस्त की गईं। बताया कि सरकारी भूमि का सीमांकन कर तारबाड़ की जाएगी और स्वामित्व का बोर्ड लगाया जाएगा।

Dehradun,UT,India
Dehradun, Dehradun, 248013, UT, India
Lat 30.341711, Long 78.089569
03/14/2024 12:55 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera
GPS Map Camera

Dehradun,UT,India
Dehradun, Dehradun, 248013, UT, India
Lat 30.341958 Long 78.089393
03/14/2024 01:37 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera
GPS Map Camera

GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
Upper Nathanpur, 6No.Pullia, Ring Road, Nehrugram, H-No.96, opposite Nanda Devi Mandir, near by Jwalpa Mata Mandir, Upper Nathanpur, Dehradun, Uttarakhand 248001, India
Lat 30.301463°
Long 78.06995°
06/07/23 01:20 PM GMT +05:30
Google

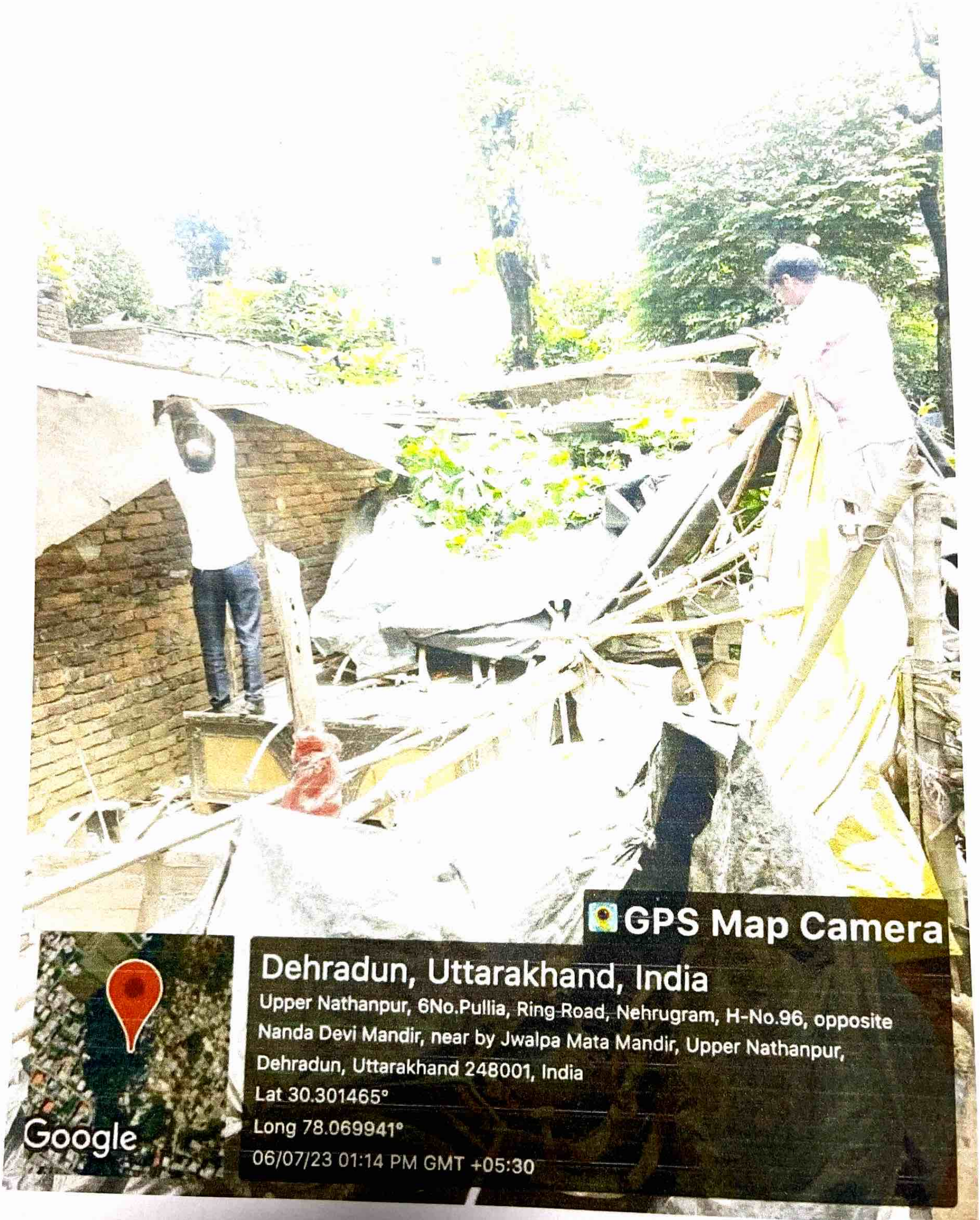
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
Upper Nathanpur, 6No.Pullia, Ring Road, Nehrugram, H-No.96, opposite Nanda Devi Mandir, near by Jwalpa Mata Mandir, Upper Nathanpur, Dehradun, Uttarakhand 248001, India
Lat 30.301465°
Long 78.069941°
06/07/23 01:14 PM GMT +05:30
Google

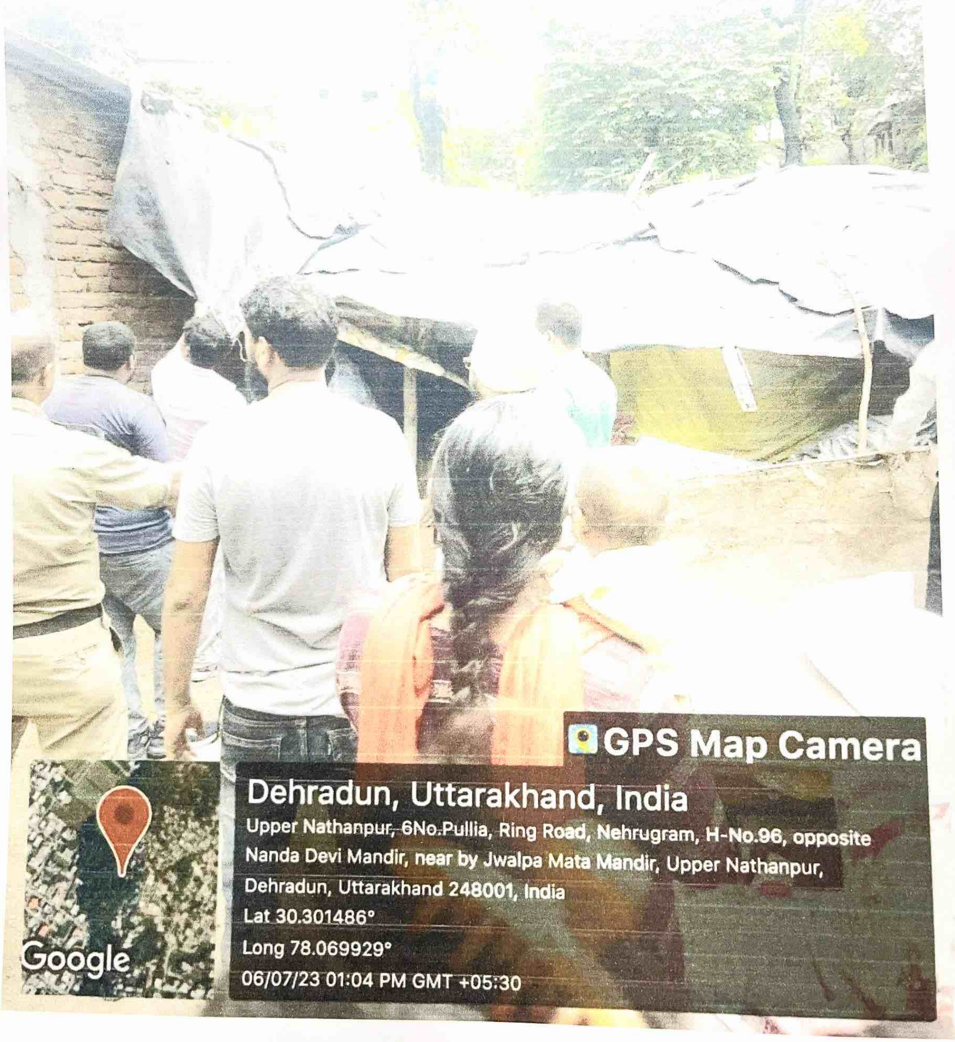
GPS Map Camera
Dehradun, Uttarakhand, India
Upper Nathanpur, 6No.Pullia, Ring Road, Nehrugram, H-No.96, opposite Nanda Devi Mandir, near by Jwalpa Mata Mandir, Upper Nathanpur, Dehradun, Uttarakhand 248001, India
Lat 30.301486°
Long 78.069929°
06/07/23 01:04 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Dehradun, Uttarakhand, India
67, Upper Badrish Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand 248001, India
Lat 30.300893°
Long 78.068655°
06/07/23 01:08 PM GMT +05:30